

न्यायालय- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला जिला बैतूल (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी- धन कुमार कुडोपा)

व्यवहार वाद क0-28ए / 11
संस्थापित दि0-11-02-09
फाईलिंग नं. 233504000012009

1. शिवपाल पिता अम्मीलाल, उम्र-36 वर्ष,
 2. कृष्णा पिता अम्मीलाल, उम्र-27 वर्ष,
 3. श्रीमती चंद्रा पति अम्मीलाल, उम्र-62 वर्ष,
 4. प्रेमलता पिता अम्मीलाल, उम्र-32 वर्ष,
 5. पारवती पिता अम्मीलाल, उम्र-34 वर्ष,
- सभी:-जाति मेहरा, नि0 बारछी, तहसील आमला,
जिला बैतूल म0प्र0।

-----वादीगण

—: बनाम :—

1. जगदीश पिता डेबू उर्फ देवचंद मेहरा, (टी.टी.आई.),
पिता (दीना मेहरा) सा0 1 नं. टी.सी. आफिस नागपुर (महाराष्ट्र)
2. सन्नोबाई पिता गुलाबराव कहार, उम्र 45 वर्ष,
नि0 बारछी, पोस्ट सोनेगांव, तह0 आमला, जिला बैतूल म0प्र0,
3. भागूलाल पिता मंहगू खातरकर, उम्र 60 वर्ष,
नि0 मदनी बारछी, तहसील आमला जिला बैतूल म0प्र0।
4. म0प्र0 शासन, द्वारा कलेक्टर बैतूल

-----प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा :: श्री अनिल पाठक अधिवक्ता।

प्रतिवादी जगदीश एवं कं. 1,2 द्वारा :: श्री राम भार्गव अधि0।

प्रति0कं.3, 4 अनुपस्थित एवं पूर्व से एकपक्षीय।

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 22/12/16 को घोषित)

- 1— वादीगण के द्वारा यह दावा वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि

प0ह0नं0 42/10 तहसील आमला में खसरा नं. 377, 392, 470, 476, एवं 478 रकबा क्रमशः 0.247, 1.360, 1.323, 0.846, एवं 2.270 कुल 6.046 हे0 भूमि का एक मात्र स्वत्व व आधिपत्यधारी एवं उक्त भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 22/12/08 दिनांक 08/09/11 अवैध एवं शून्य होकर वादी पर बंधनकारी नहीं है, बाबत् प्रस्तुत किया गया है।

2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

3— वादीगण का दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ग्राम बारछी के स्थायी निवासी कृषक है। प्रतिवादी कं. 1 से वादीगण का संबंध नहीं है। वह ग्राम झंडाचार, जिला छिन्दवाड़ा के दिना का पुत्र है उसके द्वारा स्वयं को डेबू उर्फ देवचंद का गोद पुत्र बताकर वादीगण की खानदानी भूमि में दर्ज करवा लिया है। वादीगणों के स्वत्व आधिपत्य की भूमि मौजा बारछी प0ह0नं. 42/20 तहसील आमला में खसरा नं. 377, 392, 470, 476, एवं 478 रकबा क्रमशः 0.247, 1.360, 1.323, 0.846, एवं 2.270 कुल 6.046 हे0 स्थित है। वादीगण के पिता अम्मीलाल तथा डेबू उर्फ देवचंद वादीगण की माता मंगली के नाम से दर्ज थी, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी मंगलीबाई जो वादीगण की दादी है उसके जीवनकाल में वादी कं 1 व 2 के पक्ष में 17 जनवरी 1986 को पंजीयत बक्शीशनामा कर दिया था, तब से वादीगण उसकी माता वादी कं 3 के मार्फत उपरोक्त संपूर्ण भूमि के स्वामित्व एवं आधिपत्य में चले आ रहे हैं वाद लंबन के दौरान वादीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन न्यायालयद्वारा खारिज किए जाने के पश्चात् प्रतिवादी कं 2 व 3 ने उनके विक्रय पत्र में वर्णित भूमियों पर विधि के समयक अनुक्रम के अनुसार जबरन कब्जा कर लिया है। प्रतिवादी कं 1 ने वादीगण की जानकारी के बिना विवादित सम्पत्ति पर उसका नाम दर्ज करवा लिया एवं खाते में भी उसका हिस्सा अलग विभाजित कर लिया तथा विभजित भूमि के खसरा नं. 476/2 रकबा 0.423 एवं खसरा नं. 478/2 रकबा 1.135 कुल रकबा 1.558 हे0 भूमि प्रतिवादी कं 2 को विक्रय कर दी। ऐसी जानकारी वादीगण को प्रतिवादी कं 2 द्वारा जबरन वादीगण की भूमि पर विक्रय पत्र के आधार पर कब्जा करने का प्रयास करने पर हुई।

4— आगे वादी ने अपने वाद पत्र में यह बताया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति के 1/2 भाग पर जबरन आधिपत्य कर लिया जाता है तो वादी को गंभीर एवं अपूर्णीय क्षति होगी, ऐसी स्थिति में वादीगण यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश करते हैं। वादी के शांतिपूर्ण आधिपत्य पर विवादित सम्पत्ति पर स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से दखल न देवे और उसके स्वत्व व आधिपत्य से बेदखल करने का प्रयास न करें। प्रतिवाद कं 1 द्वारा वाद के विचाराधीन रहते हुये वादग्रस्त भूमि में खसरा नं. 377/2 रकबा 0.123 हे0 खसरा 392/2 रकबा 0.068 खसरा नं. 417/2 रकबा 0.662 हे0 कुल रकबा 1.465 हे0 भूमि प्रतिवादी कं 3 फागूलाल को पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 08/09/11 के द्वारा अवैध रूप से विक्रय कर दी गई, जिससे प्रतिवादी कं 3 को

उक्त भूमि पर कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। उक्त भूमियों अभी वादीगण के आधिपत्य में हैं। वादलंबन के दौरान अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन निरस्त होने के पश्चात् प्रतिवादी कं. 2 व 3 ने उनके विक्रय पत्र में वर्णित भूमियों पर जबरन कब्जा कर लिया है। वादीगण कं 2 द्वारा उक्त बक्शीश शुदा सम्पत्ति पर उनका नाम दर्ज किए जाने हेतु तहसीलदार आमला के न्यायालय में दिनांक 21/04/1987 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। उसके पश्चात् तत्कालीन पटवारी द्वारा वादीगण को यह बताया था कि उपरोक्त भूमियों पर वादीगण कं 1 व 2 का नाम दर्ज हो चुका है सब्ब वादीगण को यही ज्ञात रहा कि उनका नाम राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि पर दर्ज हो चुका है, चूंकि वादीगण कं 1 व 2 विवादित भूमि के स्वामी एवं आधिपत्यधारी उसकी माता के समय से बक्शीशनामा के अनुसार ऐसी स्थिति में वादीगण यह वाद उद्घोषणा हेतु प्रस्तुत करते हैं वादीगण के पक्ष में इस आशय की घोषणा जारी किया जाना आवश्यक है कि वादीगण मौजा बारछी की विवादित भूमि एक मात्र स्वामी एवं आधिपत्यधारी है।

5— आगे वादी ने अपने वाद पत्र में यह बताया है कि प्रतिवादी कं 1 द्वारा अवैधानिक रूप से बिना किसी हक व अधिकार के प्रतिवादीगण कं 2 व 3 को किए गए वादग्रस्त भूमियों के विक्रय से प्रतिवादी कं. 1, 2 को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं प्रतिवादी कं 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र अवैध व शून्य होकर वादीगण पर बंधनकारक नहीं है और प्रतिवादी कं 2 व 3 ने वादग्रस्त भूमि में से उनके विक्रय पत्र में वर्णित भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है। इस प्रकार वादीगण ने विवादित भूमि का एक मात्र स्वत्व व आधिपत्यधारी एवं विवादित भूमि का प्रतिवादी कं 1 के द्वारा प्रति0 कं 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र अवैध व शून्य होकर वादीगण पर बंधनकारी नहीं है और विवादित भूमि पर स्वयं या अन्य किसी के माध्यम से दखल न देवे बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह दावा प्रस्तुत कर अपने दावा स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है।

6— प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के वाद पत्र का जवाब पेश कर विरोध प्रगट कर अपने जबाव में व्यक्त किया है कि प्रतिवादी कं. 1 का भी स्थायी निवास स्थान बारछी का ही है, परन्तु नौकरी के कारण अस्थायी रूप से अजनी नागपूर रह रहा है, परन्तु वहां से ग्राम आना-जाना अकसर किया करता है तथा कास्तकारी कार्य किया करता है। प्रतिवादी दीना का पुत्र है। प्रतिवादी 1 को जाति रिति रिवाज से डेबू उर्फ देवचन्द ने गोद लिया जाकर गोद पुत्र बनाया गया था जिसकी सबूती में दिनांक 23/01/1982 के हीराबाई के द्वारा गोदनामा तहरीर करवाया जाकर पंजीयन कराया गया था जिसके बारे में पक्षकारों को अन्यों के बीच चला व्यवहार वाद क्रमांक 55अ/07 चन्द्रबाई वगैरह बनाम जगदीश वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 17/01/2008 न्यायालय श्रीमान् चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश छिन्दवाड़ा के न्यायालय द्वारा प्रकरण के बने वाद प्रश्न कं. 2 क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष

निष्पादित गोदनामा दिनांक 23/01/1982 अवैध एकशून्य है "का निष्कर्ष" नहीं में दिया गया था जो पूर्व न्याय के आधार पर न्याय प्रडांग का वो कान्स्टेक्टीव न्याय प्रडांग होता है और इसके अलावा भी वादीगणों ने वाद पत्र के शीर्ष में प्रतिवादी एक ही वलदियत डेबू उर्फ देवचंद ही बतायी है। इस प्रकार वादीगण विबंधन के सिद्धांत से भी प्रतिवादी एक को डेबू उर्फ देवचंद के पुत्र ना होना नहीं कह सकते हैं। प्रतिवादी एक ने अपने आप को डेबू उर्फ देवचंद का पुत्र बताकर अपना नाम वादीगणों को खानदानी जमीन में दर्ज कराया गया है। बल्कि उत्तराधिकारी नियम से वादीगणों की जानकारी में नामांतरण किया गया था। वादीगणों के साथ सहस्वामी प्रतिवादी एक रहा है। दावे में उचित वो आवश्यक पक्षकारों का अभाव है सबब वाद प्रचलन योग्य का नहीं है।

7— आगे प्रतिवादी कं. 1 ने अपने जवाब में बताया है कि डेबू उर्फ देवचंद प्रतिवादी 1 के पिता रहे हैं। डेबू उर्फ देवचंद का प्रतिवादी एक गोद पुत्र जो डेबू की पत्नी थी तब वह सम्पत्ति में से उसका अंश किसी के हक में छोड़े जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अंश छोड़ने के संबंध में स्पष्ट अभिवचन नहीं किये गये हैं इस कारण यह प्रतिवादी अपना अग्रिम कथन सुरक्षित रखता है। प्रतिवादी उसका अग्रिम कथन करने को स्वतंत्र है। कथित बक्षीशनामा एक कूट रचित दस्तावेज है जो पूर्व के किसी भी कार्यवाही में जिक्र नहीं किया गया कथित बक्षीशनामा कभी अमल में नहीं आया। मंगली कभी कब्जे में नहीं थी और ना ही उसके द्वारा कथित बक्षीशनामों के आधार पर जमीनों पर कब्जा ही पाया था, ना कब्जा किया गया था। इस प्रकार कथित बक्षीशनामा संदेहपूर्ण दस्तावेज है।

8— आगे प्रतिवादी कं. 1 ने अपने जवाब में बताया है कि प्रतिवादी कं 1 का नामांतरण काफी पूर्व में उत्तराधिकार के रूप में वादीगणों की जानकारी में दर्ज किया गया था। वादीगणों से प्रतिवादी एक के द्वारा बटवारा मांगा गया ना करने पर प्रतिवादी एक के द्वारा न्यायालय तहसीलदार आमला के न्यायालय में बटवारा हेतु एक आवेदन दिया गया था जिसकी कार्यवाही में वादीगण उपस्थित हुये थे। प्रतिवादी एक के आवेदन पर से प्रकरण क्रमांक 4अ/27 वर्ष 1999-2000 मौजा बारछी जगदीश बनाम शिवपाल वगैरह चला था जिसमें दिनांक 27/12/2000 को न्यायालय के द्वारा आदेश पारित कर बटवारे में प्रतिवादी एक को निम्न जमीन दी गई। खसरा नं. क्रमशः 377/2, 392/2, 417/2, 476/2, 478/2, रकबा क्रमशः 0.123, 0.680, 0.662, 0.423, 1.135 हेक्टे. भूमि मौजा बारछी, तहसील आमला, जिला बैतूल की बटवारा आदेश से दी गई थी जिसके आधार पर प्रतिवादी एक ने अपने बटवारे वाली जमीन विधिवत् कब्जा पाया जाने हेतु धारा-250 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत पुनः एक आवेदन पत्र न्यायालय तहसीलदार आमला के न्यायालय में दिया गया था जिस पर से राजस्व प्रकरण क्रमांक 16अ/70 वर्ष 2000-01 मौजा बारछी जगदीश बनाम शिवपाल वगैरह का चलाया जाकर आदेश

दिनांक 18/12/2002 को पारित कर प्रतिवादी एक को कब्जा दिलाए जाने का आदेश पारित किए गये थे जिसके पालन में राजस्व निरीक्षक वृत्त आमला पुलिस बल कोटवार पटवारी जो पंचों की उपस्थिति में भूमि मौके पर नापकर मेढ़ पत्थर की गड़वाकर प्रतिवादी एक को भौतिक रूप से कब्जा दिया गया था। इस प्रकार प्रतिवादी एक अपने स्वत्व स्वामित्व की जमीन के आधिपत्य में वादीगणों की जानकारी में चला आ रहा है।

9— उपरोक्त तमाम कार्यवाही की जानकारी वादीगणों को शुरू से रही है। वादीगणों को प्रतिवादी एक के स्वत्व स्वामित्व को आधिपत्य की भूमि के बारे में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करने का अधिकार नहीं है। वादीगणों के द्वारा झूठा दावा पेश करने से इस प्रतिवादी को आर्थिक क्षति हो रही है, मानसिक क्लेश हो रहा है। वादीगण उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी एक ही भूमि के बारे में दावा प्रस्तुत करने को सक्षम भी नहीं है। वादीगण स्वयं होकर प्रतिवादी एक की जमीन में जबरन कब्जा करना चाहते हैं इस कारण की प्रतिवादी एक बहुत दूर रहता है को अपनी भूमि खसरा नं. क्रमशः 476/2, 478/2 रकबा क्रमशः 0.423, 1.135, दिनांक 22/12/2008 को प्रतिवादी क्रमांक दो पंजीकृत विक्रय पत्र से चार लाख रुपये में बिक्री कर कब्जा दे दिया गया है तब से प्रतिवादी क्रमांक दो उसकी खरीदी जमीन के कब्जे में चली आ रही है।

10— आगे प्रतिवादी क्रं. 1 ने अपने जवाब में बताया है कि वादीगण क्रमांक 1 व 2 के हक में कोई बक्षीशनामा नहीं है, वादीगण क्रमांक 1 व 2 के द्वारा पूर्व में उनके दो प्रतिवादी एक के मध्य चले किसी भी विवाद में कथित बक्षीशनामों का जिक्र नहीं किया गया था। बक्षीशनामा अमल में भी नहीं लाया गया है और ना ही उसके आधार पर वादीगण क्रमांक 1 व 2 का नामांतरण ही हुआ था। इस प्रकार कथित बक्षीशनामा शंकास्पद दस्तावेज की परिभाषा का है। मंगलीबाई एक अनपढ़ ग्रामीण सिधी सादी महिला रही थी, हो सकता है कि उसकी जानकारी के वगैरह वादी एक जो काफी चुस्त वो चालाक व्यक्ति है, ने धोखे से कागज बनाया गया हो जिस पर मंगली के वास्तविक हस्ताक्षर नहीं हैं, कागज लिखने वाले तथा गवाहों की साजिश से झूठा वो फर्जी बनाया नहीं है। कथित बक्षीशनामों से वादीगण क्रमांक 1 व 2 को कोई स्वत्व नहीं मिलता है। मंगली मरते तक संयुक्त आधिपत्य में रही थी। वादीगण क्रमांक 1 व 2 के द्वारा नामांतरण का आवेदन दिनांक 21/04/1987 को देना स्वीकार किया जाता है। वादीगण के पास ऋण पुस्तिका रही है देखकर जाना गया था कि सम्पत्ति में किस-किस का नाम दर्ज रहा था वादीगण उसी के आधार पर तो लगान आदि भी दिया गया होगा।

11— आगे प्रतिवादी क्रं. 1 ने अपने जवाब में बताया है कि वादीगण वादपत्र कंडिका 2 में वर्णित भूमि बटवारा आदेश दिनांक 27/12/2000 के तहत ना तो स्वत्वधारी है ना आधिपत्यधारी रहे, कब्जा आदेश दिनांक 18/12/2002 जो बटवारा

आदेश दिनांक 27/12/2000 के प्रकाश में वादीगणों का दावा अवधि बाहर है। इस स्तर पर प्रतिवादीगणों के स्वत्व एवं आधिपत्य को वादीगण चुनौती देने को सक्षम नहीं है। वादीगणों का वादी किसी भी रूप में प्रथम दृष्टया सुदृढ़ नहीं है ना उनके हक में है। कथित बक्षीशनामा शंकास्पद दस्तावेज है कभी अमल में नहीं लाया गया है ना पूर्व में किसी कार्यवाही में बतलाया गया था उसके आधार पर सम्पत्ति में वादीगणों को कोई स्वत्व नहीं मिलता है ना ही आधिपत्य ही पाया गया था। मंगली बक्षीशनामों का अर्थ नहीं समझती थी तब वह करती कैसे। वादीगणों के हक में कोई वाद कारण माह दिसम्बर 2008 के अंतिम सप्ताह में उत्पन्न नहीं हुआ है वाद कारण काल्पनिक बनाया गया है जिस बारे में वाद पत्र की अन्य कड़िकाओं में कोई जिक्र तक नहीं किया गया है की वाद कारण कैसे उत्पन्न हो गया था। दावा झूठा है आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रचलन योग्य नहीं है दावा अवधि बाहर है। वादीगण आधिपत्य में नहीं है दावा प्रचलन योग्य नहीं है उचित न्यायालय शुल्क अदा नहीं किया गया है। दावा कलुषित भावना से अनुचित लाभ पाने को अवसर लेने को प्रस्तुत किया गया है। उक्त आधारों पर वादी का दावा निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

12— प्रतिवादी क्रं. 2 के द्वारा वादीगण के वाद पत्र का जवाब पेश कर विरोध प्रगट कर अपने जबाब में व्यक्त किया है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रं. 1 ही कुटुम्ब के करीबी रिश्तेदार है प्रतिवादी एक डेबू उर्फ देवचंद का गोद पुत्र है नामांतरण स्वत्व के आधार पर हुआ है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमियाँ वादीगण जो प्रतिवादी एक की शामिल शरीक स्वत्व स्वामित्व जो आधिपत्य की सम्पत्ति रही थी। वादीगणों के पिता का नाम डेबू उर्फ देवचंद नहीं था। वादीगण जो प्रतिवादी एक के मध्य छिन्दवाड़ा व्यवहार न्यायालय में चले मामले में वादीगण प्रतिवादी एक का गोदनामा अवैध सबूत नहीं कर पाये थे, वह मामला हार गये थे। भूमियों में प्रतिवादी क्रं. 1 का नाम विभाजन कब्जा अलग से देने की कार्यवाही वादीगण की जानकारी में रही है। इस प्रतिवादी के कारण वादीगण को अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही है। दावा अवधि बाहर है। इस प्रतिवादी जमीन सद्भावना पूर्वक 476/2, 478/2 रकबा 0.423, व 1.135 आरे स्थित मौजा बारक्षी, तह0 आमला जिला बैतूल की प्रति0 क्रं0 1 का स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य देखकर कीमत चार लाख रुपये अदा कर पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा पाया है। इस प्रतिवादी के हक में विक्रय पत्र दिनांक 22/12/2000 का है। यह प्रतिवादी कब्जे में है इसका नामांतरण भी हो गया है इस तथ्य की जानकारी भी वादीगणों को शुरू से है। स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रचलन योग्य का नहीं है ना, घोषणा का दावा ही प्रचलन योग्य का है, प्रतिवादी दो के बैनामों के लिए वादीगण आगन्तुक है वे बैनामों को चुनौती देने को सक्षम नहीं है। प्रतिवादी दो के विपरित में स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण पाने की पात्रता नहीं रखते है। इस प्रतिवादी की जमीन पर वादीगण कब्जे में नहीं है। प्रतिवादी एक व दो के स्वामित्व की जमीनों के वादीगण कब्जे में ना होने से दावा प्रचलन योग्य नहीं है। इस

प्रतिवादी ने कोई जबरन कब्जा वादीगणों की जमीन पर नहीं किया है बल्कि इसके विक्रेता ने उसके स्वत्व स्वामित्व और आधिपत्य की भूमि को इस प्रतिवादी को विक्रय कर विधिक कब्जा दिया है।

13— प्रतिवादी कं. 2 ने अपने जवाब में बताया है कि वादीगण संपूर्ण भूमि के स्वत्वधारी व आधिपत्यधारी नहीं है। वादीगण किसी भी आशय की सहायता के लिए दावा पेश करने में सक्षम नहीं है दावा अवधि बाहर है इस प्रतिवादी के द्वारा कोई जबरन कब्जा नहीं किया है वाद पत्र में इस बात का कोई अभिवचन नहीं है कि वादीगण को इस प्रतिवादी ने कब बेदखल किया। वादीगण एक ही बार के कथनों की पुनरावृत्ति की है। वाद में आवश्यक पक्षकारों का अभाव है। प्रतिवादी द्वारा क्रय की गई भूमियों पर वादीगणों का वर्ष 2002 से कभी कब्जा नहीं रहा। वर्ष 2002 में इस प्रतिवादी के विक्रेता को कब्जा जमीन का राजस्व न्यायालय से दिलाया गया था, इस प्रकार दावा अवधि बाहर है वैसे भी वादीगण ने संशोधित सहायता के लिए वाद कारण व उचित मूल्यांकन कर उचित न्यायालय शुल्क अदा नहीं किया है। उक्त आधारों पर वादीगण का दावा निस्त किए जाने का निवेदन किया है।

14— वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं दस्तावेज तथा प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं, जिनका मेरे द्वारा निराकरण कर उनके समक्ष निष्कर्ष मेरे द्वारा दिये जा रहे हैं, जो विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

विचारणीय प्रश्न

निष्कर्ष

- 1—“क्या वादीगण मौजा, बारछी, तह0 आमला, जिला बैतूल स्थित ख0नं0 377, 392, 417, 476 एवं 478 के एक मात्र स्वामी एवं आधिपत्यधारी है?”
- 2—“क्या प्रतिवादीगण, वादीगण की उक्त आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने के लिए प्रयासरत् है या हस्तक्षेप करने की धमकी देते है?”
- 3—“क्या विक्रय पत्र दिनांक 22/12/2008 एवं दिनांक 08/09/2011 वादीगण के स्वत्वों के मुकाबले शून्य होकर वादीगण पर बंधनकारी नहीं है?
- 4— “क्या वाद में पक्षकारों का असंयोजन है?”
- 5— “क्या वाद अवधि बाह्य है?”
- 6— “क्या वाद में न्याय शुल्क का अभाव है?”
- 7— “सहायता एवं वाद व्यय?”

—:: अतिरिक्त वाद प्रश्न ::—

01— “क्या बक्शीशनामा दिनांक 17/07/1986

कुटरचित दस्तावेज है?

02— “क्या वाद के लंबित रहने के दौरान

प्रति0कं0 2 एवं प्रति0कं. 3 के द्वारा उनके विक्रय

पत्र में वर्णित भूमियों पर जबरन आधिपत्य कर

लिया गया है, जिसका वादीगण कब्जा प्राप्त करने

के अधिकारी है?”

—:: निष्कर्ष एवं उसके आधार ::—

—::विचारणीय प्रश्न कं0-1 का निराकरण::—

15— वादी साक्षी शिवपाल (वा0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वादीगण के स्वत्व आधिपत्य की भूमि मौजा बारछी प0ह0नं0 42/20 तहसील आमला में खसरा नं. 377, 392, 417, 476, 478 कुल रकबा 6.046 स्थित है। उपरोक्त भूमि वादीगण के पिता अम्मीलाल तथा डेबू उर्फ देवचंद वादीगण की दादी मंगली के नाम दर्ज थी। डेबू उर्फ देवचंद ने उसके जीवनकाल में उसका हिस्सा अम्मीलाल के पक्ष में छोड़ दिया था क्योंकि उसकी औलाद नहीं थी, मंगली जो कि वादीगण की दादी थी उसके जीवनकाल में वादीगण के पक्ष में 17 जनवरी 1986 को पंजीयत बक्शीशनामा कर दिया था, तब से वादीगण उसकी माता के मार्फत उपरोक्त संपूर्ण भूमि के स्वामी एवं आधिपत्य में चले आ रहे हैं।

16— वादी शिवपाल (वा0सा01) की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, किन्तु मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा दस्तावेजी साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबूत का भार स्वयं वादीगण पर है और वादीगण को वे सभी अपने पक्ष समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट करना चाहिए की विवादित भूमि का वह एक मात्र स्वत्व व आधिपत्यधारी है। वादी ने अपने वाद पत्र एवं साक्ष्य में जो बताया है कि स्व0 डेबू उर्फ देवचंद ने उसके जीवनकाल में उसका हिस्सा अम्मीलाल के पक्ष में छोड़ दिया था, किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 27 में व्यक्त किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि डेबू उर्फ देवचंद ने उसका अंश अम्मीलाल को कब दे दिया था आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि मुंह जबानी दे दिया था, किन्तु ना ही वसीयत विक्रय पत्र हक त्याग के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं लिखा था। इस प्रकार स्वयं वादी के द्वारा प्रतिपरीक्षा में बताए गए तथ्यों से यही स्पष्ट है कि स्व0 डेबू उर्फ देवचंद के द्वारा वसीयत विक्रय पत्र हक त्याग नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में

यह नहीं माना जा सकता कि स्व0 डेबू उर्फ देवचंद ने अम्मीलाल के पक्ष में उसका हिस्सा छोड़ दिया था।

17— वादी साक्षी मधुरक झरवडे (वा0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वादीगण शिवपाल वगैरह ने मौजा बारछी, तहसील आमला स्थित भूमि खसरा नं. 377, 392, 417, 476 एवं 478 कुल रकबा 0.046 हे0 है। यह भूमि शिवपाल वगैरह की खानदानी भूमि है। उक्त मौखिक साक्ष्य अनुसार शिवपाल की खानदानी भूमि दर्शित होती है, किन्तु यह दर्शित नहीं होता है कि वादीगण एक मात्र स्वत्व व आधिपत्यधारी है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 12 में स्वीकार किया है कि जगदीश ने तहसील कार्यालय में बटवारे से संबंधित शिवपाल के विरुद्ध कार्यवाही की थी। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि तहसील कार्यालय जगदीश और शिवपाल का बटवारा हो गया था। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में किए गए स्वीकृत तथ्य एवं अस्वीकृत तथ्य से यह स्पष्ट है कि वादीगण विवादित भूमि का एक मात्र स्वत्व अधिकारी नहीं है।

18— वादी ने अपने समर्थन में प्रदर्श पी 1 का दस्तावेज जिसमें विक्रेता जगदीश क्रेता सन्नोबाई खसरा नं. 476/2 और 478/2 विक्रय किया है। प्रदर्श पी 2 राजस्व निरीक्षक आमला का प्रतिवेदन है। प्रदर्श पी 3 पंचनामा है। जिसमें खसरा 377/2, 392/2 एवं 417/2 रकबा क्रमशः 0.123, 0.640, एवं 0.662 हे0 भूमि का सीमांकन किया गया है। जिसमें मौके पर खसरा नं. 377/2 एवं 392/2 के पूर्ण रकबे में अनावेदक शिवपाल वगैरह का अवैध कब्जा पाया गया है। प्रदर्श पी 4 का दस्तावेज सूचना पत्र है। प्रदर्श पी 5 फिल्ड बुक है। प्रदर्श पी 6 का दस्तावेज बक्शीश के संबंध में उल्लेख है। जिसमें मंगलीबाई के द्वारा शिवपाल वल्द अम्मीलाल नाबालिक कृष्णा के पक्ष में बक्शीश किए जाने का उसके अंश 1/3 भाग का उल्लेख है। प्रदर्श पी 7 ग्राम पंचायत बारछी की बैठक के संबंध में 03/10/02 का उल्लेख है। प्रदर्श पी 8 का दस्तावेज रजिस्टर्ड बक्शीशनामा है। प्रदर्श पी 9 किस्तबंदी वर्ष 2007-08 प्रस्तुत की है जिसमें खसरा नं. 377/2 रकबा 0.123, खसरा नं. 392/2 रकबा 0.680, खसरा नं. 417/2 रकबा 0.662, खसरा नं. 476/2 रकबा 0.423, खसरा नं. 478/2 रकबा 1.135 पेश की है जो जगदीश प्रसाद वल्द डेबू उर्फ देवचंद के नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। प्रदर्श पी 10 किस्तबंदी ग्राम बारछी वर्ष 2007-08 जिसमें खसरा नं. 377/1, रकबा 0.124, खसरा नं. 392/1 रकबा 0.680, खसरा नं. 417/1 रकबा 0.661 खसरा नं. 476/1 रकबा 0.423, खसरा नं. 478/1 रकबा 1.135 कुल रकबा 3.023 हे0 भूमि की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें शिवपाल पिता मुन्नीलाल, चन्द्रा बेवा अम्मीलाल, कृष्णा, प्रेमलता, पारवती पिता अम्मीलाल मेहरा का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है।

19— प्रदर्श पी 11 खसरा पांचसाला वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें खसरा नं. 377/1 रकबा 0.124 शिवपाल पिता

अम्मीलाल, चंदा बेवा अम्मीलाल, कृष्णा, प्रेमलता, पारवती, पिता अम्मीलाल, का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। प्रदर्श पी 12 का खसरा पांच साला ग्राम बारछी वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें खसरा नं. 377/2 रकबा 0.123 में जगदीशप्रसाद वल्द डेबू उर्फ देवचंद का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। प्रदर्श पी 13 खसरा पांच साला ग्राम बारछी वर्ष 2007-08 से 2011-12 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें खसरा नं. 392/1 रकबा 0.680 में शिवपाल पिता अम्मीलाल, चंदा बेवा अम्मीलाल, कृष्णा, प्रेमलता, पारवती, पिता अम्मीलाल, का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। प्रदर्श पी 14 खसरा पांच साला ग्राम बारछी वर्ष 2007-08 से 2011-12 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें खसरा नं. 392/2 रकबा 0.680 में जगदीशप्रसाद वल्द डेबू उर्फ देवचंद का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है।

20— प्रदर्श पी 15 का खसरा पांच साला ग्राम बारछी वर्ष 2007-08 से 2011-12 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें खसरा नं. 417/1 रकबा 0.661, शिवपाल वल्द अम्मीलाल चंद्रा बेवा अम्मीलाल, कृष्णा प्रेमलता, पारवती पिता अम्मीलाल मेहरा का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। खसरा नं. 417/2 रकबा 0.662 जगदीश वल्द डेबू उर्फ देवचंद का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। प्रदर्श पी 16 का खसरा पांच साला वर्ष 2007-08 से 2011-12 का प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा नं. 476/1 रकबा 0.423 शिवपाल वल्द अम्मीलाल चंद्रा बेवा अम्मीलाल, कृष्णा प्रेमलता, पारवती पिता अम्मीलाल मेहरा का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। खसरा नं. 476/2 रकबा 0.423 जगदीशप्रसाद पिता डेबू उर्फ देवचंद का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। प्रदर्श पी 17 का खसरा पांचसाला वर्ष 2007-08 से 2011-12 पेश की है जिसमें खसरा नं. 478/1 रकबा 1.135 शिवपाल वल्द अम्मीलाल चंद्रा बेवा अम्मीलाल, कृष्णा प्रेमलता, पारवती पिता अम्मीलाल मेहरा का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। खसरा नं. 478/1 1.135 जगदीश पिता डेबू भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। प्रदर्श पी 18 का राजस्व निरीक्षक के द्वारा तहसीलदार आमला के समक्ष सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें खसरा नं. 476/2, 478/2 रकबा 0.423 एवं 0.1.135 हे0 का सीमांकन किया गया है। जिसमें शिवपाल वगैरह का अवैध कब्जा पाया गया है।

21— प्रदर्श पी 19 का दस्तावेज जो कि नक्शा है प्रदर्श पी 19 पृष्ठ दो फिल्ड बुक प्रदर्श पी 20 स्थल पंचनामा प्रस्तुत की किया गया है जिसमें खसरा 477/2 478/2 रकबा 0.423 एवं 0.435 हे0 में सीमांकन किया गया है जिसमें अनावेदक शिवपाल का रकबा 1.558 पर अवैध कब्जा पाया गया है। प्रदर्श पी 21 का दस्तावेज जिसमे पुराना ख. नं. 363, नया ख.नं. 377 रकबा 0.61/0.247 पुराना ख. नं. 388 नया ख.नं. 392 रकबा 3.36/1.360 पुराना ख.नं. 411 नया ख.नं. 417 रकबा 3.27/1.323 पुराना ख.नं. 312 नया ख.नं. 376 रकबा 2.09/0.846 पुराना ख.नं. 390

नया ख.नं. 478 रकबा 5.61/2.270 कुल रकबा 14.94/6.046 में अम्मीलाल वल्द बिरजू डेबू वल्द बिरजू मंगली बेवा बिरजू का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख हैं। इस प्रकार विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रं. 1 के पूर्वज की दर्शित होती है। किन्तु उपरोक्त दस्तावेज से यह स्पष्ट नहीं है कि वादीगण विवादित भूमि के एक मात्र स्वत्व अधिकारी है।

22— प्रतिवादी साक्षी जगदीश (प्रति0वा0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि शिवपाल वगैरह ने उसके व अन्य के विरुद्ध छिन्दवाड़ा न्यायालय में दिवानी दावा डाला था जिसमें उसे डेबू उर्फ देवचंद का पुत्र माना गया था जिसके फैसले की नकल उसने पेश की है। डेबू उर्फ देवचंद की पत्नी हीराबाई ने गोदेनामा में कागज जो दिनांक 23/01/82 को बनाया जाकर रजिस्ट्री कराई थी। गोदपुत्र होने के नाते सम्पत्ति में डेबू को उत्तराधिकारी होने के नाते सम्पत्ति में उसका नाम दर्ज हुआ था। जिसकी जानकारी उसके भाई कृष्णा को शुरू से रही है जिस पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की थी उसका जमीन पर सामिल सरीकत कब्जा चला था। समय-समय पर वह नागपुर से आकर जमीन की कास्त करवाता था। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 11 में व्यक्त किया है कि उसने जो गोदेनामा पेश किया है वह वर्ष 1982 में बना था। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि गोदेनामा बनने के पहले देवचंद की मृत्यु हो गई थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 12 में स्वीकार किया है कि देवचंद की मृत्यु के बाद देवचंद के स्थान पर ग्राम बारछी की जमीन में हिराबाई का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि उसका नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा मुख्यपरीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि डेबू उर्फ देवचंद की पत्नी हिराबाई ने प्रतिवादी क्रं 1 जगदीश को गोद पुत्र लिया था। जिस संबंध में प्रतिवादी क्रं 1 जगदीश ने प्रदर्श डी 9 का गोदेनामा प्रस्तुत किया है।

23— साथ ही प्रदर्श डी 10 श्रीमान् चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 छिन्दवाड़ा के निर्णय की कंडिका 37 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में प्रति0 क्रं 1 के पक्ष में निष्पादित गोदेनामा की लिखित दिनांक प्रदर्श डी 13 का झूठा होना प्रमाणित पाया जाता है। उक्त दस्तावेज प्रतिवादी जगदीश की दन्तक माँ स्व0 हीराबाई के द्वारा देवचंद की मृत्यु उपरांत विधि पूर्ण रूप से पूर्व में निष्पादित गोदेनामा के प्रमाण स्वरूप निष्पादित होना निर्धारित किया जाता है। यह भी प्रमाणित पाया जाता है कि प्रतिवादी जगदीश का 10 वर्ष की आयु में विधि पूर्ण रूप से गोदेनामा निष्पादित हुआ था तथा गोदेनामा हेतु प्रतिवादी जगदीश के वास्तविक माता पिता एवं दन्तक माता की पूर्ण सहमति थी। इस प्रकार उक्त निर्णय अनुसार गोदपुत्र प्रति0 क्रं 1 स्व0 डेबू उर्फ देवचंद की पत्नी हीराबाई का गोदपुत्र है।

24— प्रतिवादी ने पक्ष समर्थन में प्र0डी0 4 का दस्तावेज तहसीलदार आमला

के द्वारा किया गया आदेश सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें जगदीश प्रसाद पिता डेबू ख.नं. 377/2 रकबा 0.123 हे0 ख.नं. 392/2 रकबा 0.680 हे0 ख.नं. 317/2 रकबा 0.662 हे0 ख.नं. 476/2 रकबा 0.423 हे0 ख.नं. 478/2 रकबा 1.135 हे0 कुल रकबा 3.023 हे0 भूमि प्रतिवादी क्रं 1 को विभाजन में प्राप्त हुई है, उसी प्रकार शिवपाल वल्द अम्मीलाल चंदा बेवा अम्मीलाल कृष्णा, पारवती, प्रेमलता को ख.नं. 377/1 रकबा 0.124 हे0 ख.नं. 392/1 रकबा 0.680 हे0 ख.नं. 417/1 रकबा 0.661 हे0 ख.नं. 476/1 रकबा 0.423 हे0 ख.नं. 478/1 रकबा 1.135 हे0 कुल रकबा 3.023 हे0 भूमि बटवारे में प्राप्त हुई है। उक्त आदेश में यह भी स्पष्ट रूप उसे उल्लेख है कि अनावेदकगण सूचना उपरांत उपस्थित नहीं हुये और उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर विभाजन का आदेश दिया गया, किन्तु उक्त विभाजन के संबंध में यदि वादीगण व्यथित थे तो उक्त संबंध में अपील प्रस्तुत कर सकते थे क्योंकि वादी ने स्वयं प्रतिपरीक्षा की कंडिका 24 में प्रतिवादी क्रं 1 की ओर से पूछा गया है कि जगदीश के नामांतरण की जानकारी तहसील न्यायालय के नोटिस मिलने पर उपस्थित होने पर लगी थी। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि यह नोटिस तहसील न्यायालय में जगदीश के द्वारा बटवारे की कार्यवाही के संबंध में थे। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उक्त नोटिस उसे 10-12 साल पहले मिले थे अर्थात् तहसील न्यायालय में जो विभाजन की कार्यवाही की गई थी। उसे तहसील न्यायालय में उपस्थित हेतु नोटिस प्राप्त हो चुका, किन्तु वादीगण के द्वारा उपस्थित न होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

25- आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 25 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि तहसील न्यायालय से हुये बटवारे के आदेश व कब्जे के आदेश जो जगदीश के हक में हुये थे उनकी उसने कहीं कोई अपील नहीं की थी, क्योंकि छिन्दवाड़ा में केश डाल दिया था। अर्थात् तहसीलदार आमला के द्वारा जो एकपक्षीय बटवारे की कार्यवाही की गई थी, उक्त संबंध में बटवारा एवं धारा-250 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत कब्जा प्राप्ति हेतु जो प्रतिवादी क्रं 1 की ओर से कार्यवाही की गई थी उक्त कार्यवाही के संबंध में सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार आमला के द्वारा जो विभाजन एवं कब्जा प्रतिवादी क्रं 1 को दिलाने की कार्यवाही की गई है वह विधि अनुसार की गई उक्त कार्यवाही को इस न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है वादीगण उक्त कार्यवाही से असंतुष्ट थे तो वे सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकते थे, किन्तु उनके द्वारा अपील न करने के कारण यही माना जायेगा कि उन्हें तहसील न्यायालय आमला के द्वारा जो भी कार्यवाही की गई है वह विधि अनुसार की गई है।

26- प्र0डी0 5 का दस्तावेज सूचना पत्र है, जो कि तहसीलदार आमला की ओर से कब्जा दिलाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है और प्र0पी 7 का

दस्तावेज जो कि प्रतिवादी कं 1 को बटवारे में प्राप्त भूमि तहसील न्यायालय आमला की ओर से कब्जा दिलाया गया है। प्र0डी0 8 का दस्तावेज तहसीलदार न्यायालय आमला के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवादी कं. 1 के द्वारा आधिपत्य दिलाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार आमला की ओर से जो भी कार्यवाही की गई है वह विधि संगत स्पष्ट रूप से दर्शित होती है उक्त कार्यवाही को हस्तक्षेप किए जाने का इस न्यायालय को आवश्यकता नहीं है।

27— स्वयं वादी ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 20 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसके आज्ञा का नाम बिरजू था। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि बिरजू के दो पुत्र अम्मीलाल और डेबू उर्फ देवचंद थे एक लड़की दसरी थी और उसकी दादी का नाम मंगली था। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि अम्मीलाल की चार पत्नियाँ थी उसे नहीं मालूम। आगे इस गवाह ने यह व्यक्त किया है कि अम्मीलाल की पत्नी चंदाबाई उसकी माँ थी, सावित्री, फुलवन्ती और रामकली तथा अम्मीलाल की पत्नी पूर्व में रही होगी तो उसे नहीं मालूम। आगे इस गवाह ने बताया है कि अम्मीलाल का पुत्र शिवपाल और कृष्णा पुत्री पारवती और प्रेमलता है। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि अम्मीलाल का भाई डेबू उसकी पत्नी हिराबाई मर गई। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 22 में स्वीकार किया है कि छिन्दवाड़ा न्यायालय ने यह ठहराया है कि जगदीश पिता डेबू उर्फ देवचंद का गोद पुत्र है। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि उसने उच्च न्यायालय से अपील कर रखी है। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि छिन्दवाड़ा जिला न्यायालय में उसकी अपील खारिज हो गई थी, तब वह उच्च न्यायालय गया था।

28— इस प्रकार स्वयं वादी साक्षी जगदीश के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए स्वीकृत तथ्यों से प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा की कंडिका 1 में जो वारसान बताया गया है वह वारसान स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है और यह भी प्रमाणित होता है कि स्व0 डेबू उर्फ देवचंद की पत्नी हिराबाई थी और हिराबाई ने प्रतिवादी कं 1 को गोदपुत्र लिया था। वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य अनुसार विवादित भूमि स्व0 डेबू उर्फ देवचंद के पिता अम्मीलाल के पक्ष में अपना हिस्सा छोड़ दिया था। उक्त तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि हक त्याग के संबंध में कोई दस्तावेज वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं कराया गया है। जबकि स्व0 डेबू उर्फ देवचंद की पत्नी हिराबाई है और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके गोदपुत्र प्रतिवादी कं. 1 की विवादित भूमि प्राप्त होगी। वादीगण के द्वारा जो अपने पक्ष समर्थन में प्र0पी0 1 से लेकर प्र0पी0 21 के जो दस्तावेज पेश किया गया है उक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं है कि विवादित भूमि मौजा बारछी, तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित भूमि खसरा नं. 377, खसरा नं. 392, खसरा नं. 417, खसरा नं. 472 एवं खसरा नं. 478 की भूमि का एक मात्र स्वत्व व आधिपत्यधारी है।

29— क्योंकि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्र0डी0 9 जो कि गोदनामा और

प्र०डी० 10 जो कि श्रीमान् चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 छिन्दवाड़ा का निर्णय दिनांक 17/01/08 की कंडिका 37 से स्पष्ट है कि स्व० डेबू उर्फ देवचंद की पत्नी स्व० हीराबाई के द्वारा विधिपूर्ण तरीके से प्रति०क्र० 1 को गोद पुत्र माना गया है। और उसी आधार पर तहसील न्यायालय आमला के द्वारा प्र०डी० 4 एवं प्र०डी० 5 के अनुसार बटवारा कराकर विधि अनुसार कब्जा प्रदान किया गया है। जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी क्र० 1 को विवादित भूमि में से 1/2, 1/2 अंश प्रदान किया गया है जो कि उचित है।

30— क्योंकि स्वयं वादी ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 29 में स्वीकार किया है कि जगदीश ने प्रतिवादी सन्नोबाई को खसरा नं. 476/2, 478/2 रकबा क्रमशः 0.423 1,135 मौजा बारछी की जमीन बेची है। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उक्त विक्रय पत्र दिनांक 22/12/08 को किया गया था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि जगदीश ने सन्नोबाई को मौके पर कब्जा दिया था। इस प्रकार स्वयं वादी केद्वारा किए गए स्वीकृत तथ्यों से यह नहीं माना जा सकता कि संपूर्ण विवादित भूमि में वादीगण का आधिपत्य है।

31— वादीगण ने अपने समर्थन माननीय उच्चतम न्यायालय का न्याय दृष्टांत नगर पालिका निगम, ग्वालियर वि० पूरनसिंह उर्फ पूरनचंद तथा अन्य 2014 रा.नि. 361, माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत मोतीलाल पांडे वि० कैलाश पाठक 2009 रा.नि. 129, माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत भंवरलाल वि० कस्तूरीबाई तथा अन्य 2008 रा.नि. 94, माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत रामेगोदा विरुद्ध एम. वरप्पा नायडू एम.पी. वीकली नोट्स 2004(11), माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत कन्हैयालाल विरुद्ध वासुदेव एम.पी. वीकली नोट 1993(11), माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत नवलकिशोर विरुद्ध कुंजबिहारी एम०पी० वीकली नोट 1996(1), माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत उर्मिला तथा अन्य विरुद्ध भोगीराम 2004 रा.नि.189, माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत गीतबाई व अन्य वि० राधाकिसन तथा अन्य 1997 रा.नि. 105, माननीय न्यायालय का न्याय दृष्टांत हमीरसिंह तथा अन्य विरुद्ध चंद्रशेखर तथा एक अन्य 1993 रा.नि. 80, माननीय न्यायालय का न्याय दृष्टांत श्यामराव उर्फ सेवा विरुद्ध देवबाई (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण व अन्य 2006 रा.नि. 45, माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत म०प्र० राज्य तथा अन्य वि० रामचंद्र तथा एक अन्य 2005 रा.नि० 190, माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत कुलवन्तसिंह वि० म.प्र. राज्य तथा अन्य 2015 रा.नि. 195, माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत मदनसिंह विरुद्ध बापूलाल व अन्य 2006 रा०नि० 207, माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत बसीर वि० म्यूनिस्पल काउन्सील, श्योपुरकलन एम.पी. वीकली नोट 273, माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत रघुनंदन वि० कृष्णाबाई और अन्य, एम.पी. वीकली नोट 2008 (11) 109, माननीय उच्च न्यायालय का न्याय

दृष्टांत नबीबाई वि० सत्तार तथा अन्य 1992 रा.नि. 298, माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत रमेश वि० बैजू 2004 रा नि 107, माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत प्रभुलाल विरुद्ध मूसा. कवरीबाई 1997 रानि 10 है। माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत रमेश वि० बैजू 2004 रा नि 107, उक्त न्याय दृष्टांत के तथ्य एवं परिस्थितियाँ भिन्न होने से उक्त न्याय दृष्टांत का लाभ वादीगण को प्राप्त नहीं होता है।

32— प्रतिवादी साक्षी जेड०ए० खान (प्र०वा०सा० 5) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि तहसील आमला में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुये प्र०पी० 18, प्र०पी० 19, प्र०पी० 20 का सीमांकन दस्तावेज उसके द्वारा तैयार किया गया था। उक्त दोनों सीमांकन के समय दोनों खसरा नं० की भूमि 476/2 एवं खसरा नं० 478/2 के पूर्ण रकबे 1.558 हे० मौक पर शिवपाल वल्द अम्मीलाल मेहरा द्वारा गेंहू की फसल बो कर उसका अवैध कब्जा पाया गया था। इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षा से स्पष्ट है कि अवैध रूप से उक्त खसरे रकबे पर कब्जे में है जिसे अतिक्रमणधारी के रूप में विवादित भूमि पर कब्जे में है, ऐसे अतिक्रमणधारी को विवादित भूमि पर आधिपत्य नहीं माना जा सकता।

33— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि विवादित भूमि ग्राम बारछी प०ह०नं० 42/20 तह० आमला, जिला बैतूल में स्थित भूमि खसरा नं० 477, 392, 417, 476, 478 भूमि वादीगण का एक मात्र स्वत्व व आधिपत्यधारी है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

—:: अतिरिक्त विचारणीय प्रश्न क्रं०-01 का निराकरण::—

34— वादी साक्षी शिवपाल (वा०सा० 1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वादीगण के पिता अम्मीलाल तथा डेबू उर्फ देवचंद एवं वादीगण की दादी मंगली के नाम से दर्ज थी। डेबू ने उसके जीवन काल में उसका हिस्सा अम्मीलाल के पक्ष में छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। मंगली जो वादीगण की दादी है उसने जीवनकाल में वादीगण के पक्ष में 17 जनवरी 1986 को पंजीयत बक्शीशनामा कर दिया था, तब से वादीगण उसके माता के मार्फत उपरोक्त संपूर्ण भूमि के स्वामित्व एवं आधिपत्य में चले आ रहे हैं। आगे वादी ने यह भी बताया है कि वादीगण द्वारा उक्त बक्शीश शुदा सम्पत्ति पर उनका नाम दर्ज किए जाने हेतु तहसीलदार के समक्ष दिनांक 21/04/1987 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, उसके पश्चात् तत्कालीन पटवारी द्वारा वादीगण को यह बताया था कि उपरोक्त भूमि पर वादीगण का नाम दर्ज हो चुका है, सबब वादीगण को यही ज्ञात रहा कि उनका नाम राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमि पर दर्ज हो चुका है। उक्त साक्ष्य को

प्रतिवादीगण की ओर से खंडन किया गया है।

35— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 17 में व्यक्त किया है कि तहसील न्यायालय में जवाब पेश किया था जवाब को उसने पढ़ लिया था दस्तखत किए थे पेश किया था तहसील में उसने जो जवाब पेश किया था उसमें बक्शीशनामा का उल्लेख नहीं किया था। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि बाद में बक्शीशनामा पेश किया था। आगे इस गवाह से प्रतिवादी कं 1 की ओर से पूछा गया कि तहसील अदालत में जो बाद में बक्शीशनामा पेश किया था, पेश करने वाले आदेश पत्रिका नकल यहां पेश नहीं की। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 18 में अस्वीकार किया है कि ऐसी कोई बक्शीशनामा अस्तित्व में नहीं था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि तहसील में कोई बक्शीशनामा पेश नहीं किया था। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि कोई बक्शीशनामा नहीं बना। आगे गवाह ने स्वतः कहा है कि बक्शीशनामा था और रजिस्टर्ड है।

36— इस प्रकार स्वयं वादी शिवपाल के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं है कि तहसील न्यायालय में जिस समय बटवारे की कार्यवाही एवं कब्जे की कार्यवाही हुई उस समय उसके द्वारा रजिस्टर्ड बक्शीशनामा प्रस्तुत किया गया। क्योंकि बक्शीशनामा तहसीलदार आमला के द्वारा जो बटवारे एवं कब्जे की कार्यवाही की गई थी, उस समय रजिस्टर्ड बक्शीशनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि वास्तविक रूप से उस समय रजिस्टर्ड बक्शीशनामा अस्तित्व में होता तो वादीगण आवश्यक रूप से तहसील न्यायालय आमला के समक्ष प्रस्तुत करते और विधि अनुसार तहसील न्यायालय आमला के द्वारा उचित आदेश किया जाता। क्योंकि उक्त तथ्यों का समर्थन इसलिए होता है कि प्रदर्श डी 4 जो कि बटवारे की कार्यवाही है उक्त कार्यवाही में बक्शीशनामा के संबंध में उल्लेख नहीं है। जबकि वादी शिवपाल ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 25 में स्वीकार किया है कि जगदीश के नामांतरण की जानकारी उसके तहसील न्यायालय में उपस्थित होने पर लगी थी वह नोटिस तहसील न्यायालय में बटवारे के कार्यवाही के संबंध में थे। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 25 में स्वीकार किया है कि तहसील से हुये बटवारे के आदेश और कब्जे के आदेश जो जगदीश के हक में हुये थे उनकी उसने कहीं अपील नहीं की थी, क्योंकि छिन्दवाड़ा में केश डाल दिया था। जबकि प्रदर्श डी 10 के दस्तावेज से भी स्पष्ट है कि इस प्रकरण की विवादित भूमि के संबंध में छिन्दवाड़ा न्यायालय में कोई प्रकरण नहीं चला है। वादीगण के द्वारा तहसील न्यायालय आमला के द्वारा किये गए बटवारा एवं कब्जे की कार्यवाही के समय बक्शीशनामा प्रस्तुत नहीं की गई।

37— जबकि धारा-250 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रतिवादी कं 1 जगदीश को बटवारे में प्राप्त भूमि में कब्जा आदेश दिनांक 18/12/02 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की ओर से जो जवाब प्रस्तुत किया गया है उसमें मंगलीबाई के द्वारा विवादित भूमि के हिस्से में से वादीगण के पक्ष में 1/3 हिस्सा पंजीयत

बक्शीशनामा के माध्यम से 10/01/86 को बक्शीश कर दिया, जब से अनावेदक उस जमीन पर काबिज है और उक्त आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अनावेदक पक्ष द्वारा बक्शीशनामा दिनांक 27/01/86 प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त आदेश से ही यह स्पष्ट है कि उस बटवारा एवं कब्जे की कार्यवाही के समय बक्शीशनामा अस्तित्व में ही नहीं था।

38— क्योंकि प्रदर्श पी 8 का दस्तावेज रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 17/01/1986 प्रस्तुत किया है जिसमें बक्शीशकर्ता मंगलीबाई बेवा बिरजू और बक्शीश पाने वाले शिवपाल पिता अम्मीलाल, कृष्णा, पिता अम्मीलाल उम्र 4 वर्ष का उल्लेख है जिसमें विवादित भूमि खसरा नं. 377 रकबा 2.360 खसरा नं. 392 रकबा 1.360 खसरा नं. 387 रकबा 1.323, खसरा नं. 476 रकबा 0.846 खसरा नं. 478 रकबा 2.270 कुल रकबा 6.046 हे० भूमि में से 1/3 अंश का बक्शीयतनामा मंगली बाई के द्वारा वादी शिवपाल और कृष्णा को किया गया है। जबकि प्रदर्श डी 5 के दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि बक्शीशनामा दिनांक 27/04/86 प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 17/01/86 स्पष्ट रूप से उल्लेख है और प्रदर्श डी 5 में 27/01/86 स्पष्ट रूप से उल्लेख है जो कि इस तथ्य को विश्वसनीयता दर्शित करता है कि राजस्व न्यायालय तहसीलदार आमला के द्वारा प्रदर्श डी 4 का आदेश दिनांक 27/12/2000 एवं धारा 250 म०प्र० भू राजस्व संहिता के अंतर्गत कब्जा का आदेश दिनांक 18/12/2002 को बक्शीशनामा अस्तित्व में ही नहीं था। क्योंकि प्रदर्श पी 8 रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 17/01/1986 एवं प्रदर्श डी 5 में स्वयं वादीगण की ओर से जवाब में जो बक्शीश मंगलीबाई के द्वारा किया गया है वह दिनांक 10/01/86 एवं बक्शीशनामा दिनांक 27/01/1986 ही विरोधाभाष है, जो कि बक्शीशनामा दिनांक 17/01/1986 का संदेह उत्पन्न करता है।

39— प्रदर्श डी 8 के दस्तावेज रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 17/01/1986 का जो स्वतंत्र साक्षी बातू वल्द डेपल्या, धुन्धू वल्द टेटू दोनों गवाह बारछी के निवासी है उक्त दोनों गवाह की साक्ष्य प्रस्तुति नहीं किया, दोनों गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्वयं वादी साक्षी शिवपाल के आदेश 18 नियम 4 सी.पी. सी. के शपथ पत्र साक्ष्य में भी यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है कि उनका किस कारण से उक्त दोनों साक्षियों की साक्ष्य पेश नहीं की गई है। मात्र मौखिक तर्क के दौरान यह बताया गया है कि उक्त दोनों साक्षियों की साक्ष्य प्रस्तुत इसलिए नहीं की गई कि उक्त दोनों साक्षियों की मृत्यु हो चुकी है, किन्तु उक्त दोनों साक्षियों की मृत्यु होने के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि बक्शीशनामा के स्वतंत्र साक्षी बातू वल्द डेपल्या धुन्धू वल्द टेटू ग्राम बारछी के निवासी है और वादीगण भी ग्राम बारछी के निवासी है तो स्वभाविक ही मृत्यु प्रमाण पत्र उक्त दोनों गवाहों का प्राप्त करने में कोई बड़ी परेशानी नहीं थी इसके पश्चात् भी उक्त दोनों

स्वतंत्र साक्षियों का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण को अपना दावा स्वयं प्रमाणित करना होता है उसे वे सारे तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करना होगा।

40— बक्शीशनामा के संबंध में साक्षी आर0एन0 त्रिवेदी (वा0सा04) प्रस्तुत की गई है जिसमें अपनी साक्ष्य में बताया है कि प्रदर्श पी 8 का दस्तावेज बक्शीशनामा है जिसमें बक्शीशकर्ता मंगली बेवा बिरजू मेहरा नि0 बारछी तहसील मुलताई जिला बैतूल के द्वारा शिववाल पिता अम्मीलाल कृष्णा ना0बा0 वल्द अम्मीलाल वली माता चंदाबाई बेवा अम्मीलाल नि0 बारछी, तह0 मुलताई बक्शीशनामा लिखा गया है एवं पंजीबद्ध किया गया है, लिखा गया है बक्शीशनामा में सम्पत्ति का उल्लेख हिस्से का उल्लेख है जो अतिरिक्त पुस्तक कं 1 ग्रंथ का 1370 कं 27, 28 पर दस्तावेज कं 1973 पर दिनांक 17 जनवरी 1986 को दर्ज है। किन्तु इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि आज वह उसके साथ जो रिकार्ड लाया है उसमें संलग्न प्रति जिसके संबंध में उसके बयान हो रहे हैं उसके समक्ष पंजीयन नहीं हुआ है। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार कर लिया है कि मंगलीबाई के पहचान के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा है कि उस समय पहचान की कार्यवाही नहीं की जाती है। इस प्रकार स्वयं इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से स्पष्ट है कि इस गवाह के समक्ष रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 17/01/1986 निष्पादित नहीं हुआ है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि जिस समय यह रजिस्टर्ड बक्शीशनामा निष्पादित कराया गया है उस समय मंगलीबाई के द्वारा ही अपने अंश के संबंध में कराया गया है उक्त संबंध में संबंधित दस्तावेज पर पहचान के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है और गवाह ने स्वतः कहा कि उस समय पहचान की कार्यवाही नहीं की जाती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादीगण के द्वारा मंगलीबाई के स्थान पर अन्य किसी महिला को खड़ा कर बक्शीशनामा बनाया गया हो, इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता।

41— भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 के अनुसार यदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा आपेक्षित है, तब उसे साक्ष्य के रूप में तब तक उपयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणिक साक्षी को उसके निष्पादन को साबित करने के लिए न बुलाया गया हो, यदि अनुप्रमाणिक साक्षी जिवित है और न्यायालय के आदेशिका के अधीन है उसी प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 69 के अनुसार यदि किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता नहीं चलता है तो यह साबित करना होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाणक उसी के हस्तलेख में है और दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति के हस्तलेख में है। इस प्रकार उक्त दोनों धाराओं के अनुसार भी वादीगण की ओर से कोई अनुप्रमाणक साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

42— क्योंकि यदि वास्तविक रूप से बक्शीशनामा तहसील न्यायालय आमला

के द्वारा बटवारा की कार्यवाही एवं कब्जे की कार्यवाही की गई है उस समय प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही दिनांक 17/01/86 का रजिस्टर्ड बक्शीशनामा बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि वर्ष 1986 का है। मंगलीबाई एवं उसके पिता अम्मीलाल एवं उसके चाचा डेबू उर्फ देवचंद और उसकी पत्नी हीराबाई की मृत्यु के पश्चात् वादीगण उक्त दस्तावेज को तहसील न्यायालय के समक्ष या संबंधित राजस्व अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर नामांतरण करता। वादीगण की ओर से ऐसी कोई नामांतरण की कार्यवाही नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादीगण के द्वारा मात्र प्रतिवादी क्रं. 1 को विवादित भूमि में 1/2 अंश प्राप्त न हो इस कारण से रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 17/1/1986 कुटरचित रूप से बाद में निष्पादित कराया गया है। क्योंकि प्रदर्श डी 10 के दस्तावेज से स्पष्ट है कि वादीगण के द्वारा डेबू उर्फ देवचंद को उनका गोद पुत्र न बने और उसे डेबू उर्फ देवचंद की मृत्यु के पश्चात् मध्य रेल्वे में अनुकम्पा नियुक्ति न प्राप्त हो पूर्ण प्रयास किया गया है, जो कि ग्राम बारछी की जो विवादित भूमि में से स्व0 डेबू उर्फ देवचंद को मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-8 के अनुसार उसके उत्तराधिकारी स्व0 हीराबाई एवं उसके मृत्यु के पश्चात् गोद पुत्र प्रतिवादी क्रं 1 जगदीश को प्राप्त होगी।

43— प्रदर्श डी 21 का दस्तावेज अधिकारी अभिलेख में विवादित भूमि अम्मीलाल पिता बिरजू, डेबू पिता बिरजू, मंगली बेवा बिरजू के नाम का उल्लेख है जिससे यह स्पष्ट है कि बिरजू की मृत्यु के पश्चात् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-8 के अनुसार बिरजू के पुत्र अम्मीलाल, डेबू पत्नी मंगली को प्राप्त होगी। उसी प्रकार प्रदर्श पी 8 का दस्तावेज जो कि रजिस्टर्ड दिनांक 17/01/1986 वादीगण के द्वारा संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है। इस कारण स्व0 मंगली की मृत्यु के पश्चात् वादीगण एवं प्रतिवादी क्रं. 1 स्व0 मंगलीबाई की मृत्यु के पश्चात् बराबर-बराबर अंश प्राप्त होने वाले अंश को प्राप्त करेंगे।

44— जहां तक वादीगण ने प्रदर्श पी 8 के दस्तावेज को 30 वर्ष पुराना होने के संबंध में साक्ष्य में ग्राह्य किया जाने और उसकी हर अंतर वस्तु साक्ष्य में ग्राह्य है का तर्क के दौरान विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कराया गया था किन्तु जहां पर वादीगण ने प्रदर्श पी 8 के दस्तावेज को प्रमाणित कराने हेतु वादी साक्षी आर0एन0 त्रिवेदी आ0सा04 के माध्यम से प्रमाणित कराना चाहा है, ऐसी परिस्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 90 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। प्रतिवादी ने अपने पक्ष समर्थन में **WOODROFFE & AMEER ALI'S LAW OF EVIDENCE 13TH, EDITION** के अनुसार **the period of thirty year is to be reckoned, not from the date on which the document is filed in Court. But from the date on which. It having been tendered in evidence, its genuineness or otherwise becomes the subject of proff.** इस प्रकार जो 30 वर्ष पुराने दस्तावेज को प्रदर्श अंकित होने के दिनांक से साबित

माना जावेगा। जबकि रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 17/01/1986 को निष्पादित किया गया है और प्रदर्श अंकित होने का दिनांक 28/10/15 की है। इस प्रकार प्रदर्श पी 8 के दस्तावेज को 30 वर्ष पूर्ण होने के लिए दो माह 15 दिन शेष है जो कि 30 वर्ष पुराना दस्तावेज भी नहीं है। इस प्रकार वादीगण को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा-90 का लाभ भी प्राप्त नहीं होता है।

45— वादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत भीका जाट वि० तीजीबाई तथा अन्य 1997 रा.नि. 121, माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत शंकरदयाल तथा अन्य वि० प्रागीलाल तथा अन्य 1997 (2) विधि भास्वर 80 है। उपरोक्त न्याय दृष्टांत की तथ्य व परिस्थितियाँ भिन्न होने से उक्त न्याय दृष्टांत का लाभ वादीगणों को प्राप्त नहीं होता है।

46— प्रतिवादी साक्षी जगदीश (प्रति०वा०सा०1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि मंगली ने शिवपाल और उसके भाई कृष्णा के हक में कभी कोई बक्शीशनामा नहीं लिखा न कभी कब्जा दिया, उसके और शिवपाल के बीच पूर्व छिन्दवाड़ा दिवानी अदालत में आमला राजस्व न्यायलय में मुकदमे चले थे उसमें कहीं शिवपाल वगैरह ने मंगली के द्वारा जो बक्शीशनामा किया जाना बताया जा रहा है, पेश नहीं किया गया था ना उसके आधार पर कोई नामांतरण आदि हुये। बक्शीशनामा एक फर्जी बनावटी दस्तावेज है। आगे इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि शिवपाल वगैरह ने जो मंगली से बक्शीशनामा बनाया जाना बताया जा रहा है वह वास्तव में मंगली के द्वारा नहीं बनाया गया है। मंगली एक ग्रामीण अशिक्षित सीधी सादी महिला थी जो कभी बक्शीशनामा बनाने नहीं गई थी। शिवपाल ने लेखक व गवाह की साजिश से फर्जी कागज बनाया गया है जो कभी अमल में नहीं लाया गया है शिवपाल वगैरह को उसके विरुद्ध किसी भी सहायता के लिए दावा पेश करने का अधिकार नहीं है। बटवारा के आदेश व कब्जे के आदेश के बाद उसकी जमीन के लिए शिवपाल वगैरह के किसी भी सहायता के लिए उसके विरुद्ध दावा पेश करने का अधिकार नहीं है शिवपाल वगैरह ने अवसर लेने के लिए झूठा दावा पेश किया है और उसे नुकसानी में डाला है। उनका दावा खारिज करते हुये उसे नुकसानी दिलवाया जावे। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है।

47— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 22 में अस्वीकार किया है कि मंगलीबाई की सेवा चाकरी भरण पोषण देखरेख शिवपाल ने की थी। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि मंगलीबाई ने सन् 1986 में शिवपाल और कृष्णा ना०बा० के पक्ष में विवादित भूमि में 1/3 की पंजीयत बक्शीशनामा की थी। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि जो विवादित भूमि की बक्शीश की थी उस भूमि का शिवपाल वगैरह को कब्जा दिया था। इस प्रकार इस गवाह के मुख्यपरीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि शिवपाल और कृष्णा के पक्ष में स्व० मंगलीबाई के द्वारा कोई बक्शीशनामा नहीं की। क्योंकि रजिस्टर्ड बक्शीशनामा

दिनांक 17/01/1986 को कभी भी वादीगण के द्वारा अमल में नहीं लाया गया। क्योंकि कानून व विधि सोये हुये व्यक्ति के लिए न्याय प्रदान नहीं कर सकती। यदि वास्तविक रूप से मंगली बाई के द्वारा रजिस्टर्ड बक्शीशनामा वादीगण के पक्ष में दिनांक 17/01/1986 को निष्पादित कराया जाता तो वादीगण स्व0 मंगलीबाई की मृत्यु के पश्चात् व स्व0 हीराबाई के मृत्यु के पश्चात् नामांतरण हेतु विधि अनुसार कार्यवाही कर उचित न्याय प्राप्त कर सकते थे। जबकि वादीगण के द्वारा तहसील न्यायालय में हुये विभाजन कार्यवाही एवं कब्जे की कार्यवाही के समय भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि वास्तविक रूप से रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 17/01/1986 अस्तित्व में रहती तो उस समय जो कि वादीगण के हक व स्वत्व में एक बटवारे की कार्यवाही उनके जीवन में मृत्यु होने जैसा है क्योंकि वर्तमान में एक सामाजिक जीवन में सम्पत्ति एक ऐसी चीज है, जो कि मानव जीवन के अंत होने के पश्चात् भी सम्पत्ति के विवाद समाप्त नहीं होते, ऐसे बक्शीशनामा को वादीगण के द्वारा न्यायालय तहसीलदार आमला के समक्ष बटवारा व कब्जे की कार्यवाही के समय प्रस्तुत न करना, यह स्पष्ट करता है कि मात्र विवादित भूमि प्रतिवादी क्रं 1 को किसी भी तरीके से उसे प्राप्त न हो या उसका उपयोग या उपभोग न कर सके और न उससे किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकें। इसी कारण से कुटरचित तरीके से रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 17/01/1986 निष्पादित कराया गया है।

48— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 17/01/1986 कुटरचित दस्तावेज है। इस प्रकार विचारणीय अतिरिक्त वाद प्रश्न 1 का निराकरण “प्रमाणित” रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रं 2 का निराकरण

49— विचारणीय प्रश्न क्रं 1 से यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित भूमि पर वादीगण एक मात्र स्वत्व व आधिपत्यधारी नहीं है और विचारणीय अतिरिक्त वाद प्रश्न क्रं 1 से यह स्पष्ट हो चुका है कि रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 17/01/1986 कुटरचित दस्तावेज है और प्रतिवादी क्रं 1 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्र0डी0 4 एवं प्र0डी0 5 से यह स्पष्ट है कि राजस्व न्यायालय के द्वारा विधि अनुसार बटवारा कर कब्जा प्रदान किया गया है। साथ ही न्यायालय तहसीलदार आमला के द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है और प्रतिवादी क्रं 1 को विधि अनुसार कब्जा प्रदान किया गया है। क्योंकि स्वयं वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्र0पी0 18 से प्र0पी0 20 तक के दस्तावेज से स्पष्ट है कि अवैधानिक रूप से प्रतिवादी क्रं 1 के स्वत्व की भूमि पर कब्जा किया गया है ना कि प्रतिवादी क्रं 1 के द्वारा वादीगण को उसके स्वत्व व हक व विभाजन में प्राप्त भूमि पर प्रतिवादी क्रं 1 के द्वारा उसके आधिपत्य से अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया है और ना ही धमकी

दी गई है। क्योंकि प्रतिवादी कं 1 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्र०पी० 9 एवं प्र०पी० 10 की निर्णय की कंडिका 37 से स्पष्ट है कि स्व० डेबू उर्फ देवचंद की पत्नी स्व० श्रीमति हीराबाई के द्वारा गोद पुत्र लिया गया है और गोद पुत्र होने के नाते उसे भी एक पुत्र के भांति स्व० डेबू उर्फ देवचंद की जो भी चल अचल सम्पत्ति है उसमें वह पुत्र के भांति ही प्राप्त करेगा।

50— उसी प्रकार प्र०पी० 8 जो कि प्रतिवादी कं 1 के द्वारा कब्जा प्राप्ति के संबंध में न्यायालय तहसीलदार को आवेदन दिया गया है और कब्जा प्राप्ति हेतु प्र०डी० 6 का दस्तावेज जो कि सूचना पत्र शिवपाल को जारी किया गया है। प्र०पी० 7 का दस्तावेज राजस्व निरीक्षक के द्वारा प्रतिवादी कं 1 को उसके हक में प्राप्त भूमि का कब्जा प्रदान किया है। और प्र०डी० 5 के दस्तावेज से स्पष्ट है कि तहसीलदार आमला के द्वारा कब्जा प्रदान करने हेतु आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी कं. 1 के द्वारा जो भी कार्यवाही की गई है वह न्यायालय तहसीलदार आमला के द्वारा विधि अनुसार जो उसके क्षेत्राधिकार में है वह कार्यवाही की गई है। और प्रतिवादी कं 1 को विधि सम्मत बटवारे में प्राप्त भूमि का कब्जा प्रदान किया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि पर हस्तक्षेप करने के लिए या हस्तक्षेप करने की धमकी दी गई है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 2 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क 3 का निराकरण

51— विचारणीय प्रश्न कं. 1 से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादीगण विवादित भूमि का एक मात्र स्वत्व अधिकारी नहीं है। और प्रदर्श डी 5 से लेकर प्रदर्श डी 10 तक के दस्तावेजों से यही स्पष्ट है कि प्रतिवादी कं 1 स्व० डेबू उर्फ देवचंद की पत्नी स्व० श्रीमति हीराबाई का प्रतिवादी कं. 1 गोदपुत्र है और गोद पुत्र होने के नाते विवादित भूमि पर 1/2 अंश तहसीलदार न्यायालय आमला के द्वारा विभाजन कर विधि अनुसार कब्जा प्राप्त किया है और उसके द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 22/12/08 एवं दिनांक 08/09/11 का जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया गया है वह उसके विभाजन में प्राप्त अंश भूमि का ही विक्रय किया गया है उससे अधिक भूमि का विक्रय नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में किया गया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22/12/08 एवं दिनांक 08/09/11 वादीगण के स्वत्व के मुकाबले शून्य होकर वादीगण पर बंधनकारक है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 3 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं. 4 का निराकरण

52— वादीगण के द्वारा संशोधन आवेदन दिनांक 31/08/16 के अनुसार श्रीमति चंदा बेवा अम्मीलाल, प्रेमलता पुत्री अम्मीलाल पारवती पुत्री अम्मीलाल को पक्षकार वादीगण के द्वारा अपने मूलदावे में पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है जो कि पक्षकारों का जो वाद पत्र में जो असंयोजन था उसे पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं 4 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रं. 5 का निराकरण

53— वादी के द्वारा अपने मूल दावे की कंडिका 8 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि ग्राम बारछी, तहसील आमला, जिला बैतूल में माह दिसम्बर 2008 के अंतिम सप्ताह में उस समय उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी क्रं 2 द्वारा विवादित सम्पत्ति पर आधिपत्य किये जाने की धमकी वादीगण को दी। जबकि प्रदर्श डी 4 का दस्तावेज वादीगण एवं प्रतिवादी क्रं 1 के मध्य बटवारा आदेश दिनांक 27/12/2000 को किया गया है, जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रं 1 के मध्य विवादित भूमि का 1/2, 1/2 के अंश का विभाजन किया गया है और प्रदर्श डी 5 के दस्तावेज जो कि कब्जा प्राप्ति का आदेश दिनांक 18/12/02 का आदेश है जिसके अनुसार है। प्रदर्श डी 7 के दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि दिनांक 06/04/03 को विवादित भूमि खसरा नं. 478/2 रकबा 1.135 खसरा नं. 377/2 रकबा 0.123 ख.नं. 392/2 रकबा 0.680 ख.नं. 417/2 रकबा 0.662 ख. नं. 476/2 रकबा 0.423 कुल रकबा 3.023 का मौके पर उपस्थित पक्षकार एवं पंचों के सामने नाप कर एवं सीमा पर पत्थर लगाकर कब्जा श्री डेबू उर्फ देवचंद को दिया गया। उक्त दस्तावेज से यही स्पष्ट है कि न्यायालय तहसीलदार आमला के द्वारा जो विभाजन एवं कब्जे की कार्यवाही कर मौके पर प्रतिवादी क्रं 1 को प्राप्त भूमि बटवारा पश्चात् उसका कब्जा प्रदान किया गया है, जो कि दिनांक 06/04/03 को विवादित भूमि में से प्रतिवादी क्रं 1 को प्राप्त अंश का कब्जा प्रदान किया गया है।

54— शिवपाल (वा0सा01) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 24 में व्यक्त किया है कि उसे तहसील न्यायालय के नोटिस मिलने पर जानकारी लगी थी। आगे वह नोटिस तहसील न्यायालय में जगदीश के द्वारा बटवारे की कार्यवाही के संबंध में थे आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उक्त नोटिस उसे 10-12 साल पहले मिले थे। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 25 में स्वीकार किया है तहसील से बटवारे के आदेश कब्जे के आदेश हुये जगदीश के पक्ष में हुये उसकी कहीं अपील नहीं की थी क्योंकि छिन्दवाड़ा में केश डाल दिया था। परंतु प्र0डी0 10 के दस्तावेज से स्पष्ट है कि वह विवादित भूमि के संबंध में छिन्दवाड़ा न्यायालय में विवादित भूमि के संबंध में प्रकरण नहीं चला है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 29 में स्वीकार किया है कि उक्त विक्रय पत्र दिनांक 22/12/08 को किया था। आगे इस गवाह ने

स्वीकार किया है कि जगदीश ने सन्नोबाई को मौके पर कब्जा दिया था। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में किए गए स्वीकृत तथ्य से यह स्पष्ट है कि प्र०डी० 7 के दस्तावेज से स्पष्ट है कि दिनांक 06/04/03 को बटवारे के पश्चात् विवादित भूमि का कब्जा प्रदान किया गया उसी समय से प्रतिवादी क्रं 1 विवादित भूमि पर कब्जे में है, जो कि वादीगण को विवादित भूमि से प्रतिवादी क्रं 1 के द्वारा उसके अंश से अवैध कब्जा को हटा दिया गया है।

55— इस प्रकार प्र०डी० 4 प्र०डी 5, प्र०डी० 6, प्र०डी 7 के दस्तावेज से यही स्पष्ट है कि विवादित भूमि के कब्जे के बेदखली के संबंध में उसे जानकारी कब्जा आदेश दिनांक 08/12/02 को हो चुकी है, जो कि विवादित भूमि से उसे पृथक किए जाने का ठोस आधार है। वादीगण यह कहकर नहीं बच सकते कि उन्हें वास्तविक रूप से वर्ष 2008 से विवादित भूमि से पृथक किया, इस कारण उसके द्वारा दिनांक 31/01/09 को यह दावा समयवधि में प्रस्तुत किया गया। जबकि कब्जा आदेश दिनांक 18/12/02 का है जिसमें वादीगण उपस्थित हो चुके हैं जो कि उन्हें कब्जे से बेदखली के संबंध में जानकारी हो चुकी है और उसे समय सीमा में यह दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

56— जबकि वादी द्वारा यह दावा स्वत्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। परीसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 58 के अनुसार घोषणा हेतु 3 वर्ष का समय प्रदान किया गया है और कब्जा आदेश दिनांक 18/12/02 एवं मौके पर प्रतिवादी क्रं 1 को दिया गया, कब्जा प्र०डी० 7 के अनुसार दिनांक 06/04/03 के अनुसार भी वादी को 3 वर्ष के अंदर दावा प्रस्तुत किये जाना चाहिए था। वादीगण ने तर्क के दौरान प्र०पी० 18 से लेकर प्र०पी० 20 के दस्तावेज से व्यक्त किया कि मौके पर उन्हें विवादित भूमि पर उनका कब्जा था। किन्तु प्र०पी० 18 एवं प्र०पी० 20 के दस्तावेज से स्पष्ट है कि ख.नं. 477/2, 478/2 क्रमशः रकबा 0.423, 1.135 कुल रकबा 1.558 पर अनावेदक शिवपाल का अवैध कब्जा है। उसी प्रकार प्र०पी० 20 के दस्तावेज में भी उल्लेख है कि ख०नं. 476/2, 478/2 रकबा क्रमशः 0.423 एवं 1.135 हे० भूमि पर अनावेदक शिवपाल का दोनों रकबा 1.558 पर अवैध कब्जा है। उक्त दस्तावेज से यह स्पष्ट होता है कि अवैध तरीके से यदि विवादित भूमि पर वादीगण कब्जे में हैं तो उनका कब्जा नहीं माना जायेगा। क्योंकि भौतिक कब्जा प्रतिवादी क्रं 1 का है, जो कि विधि भी उसे कब्जा होना प्रमाणित करती है। यदि वादीगण के द्वारा अतिक्रमणधारी के रूप में मौके पर कब्जे में बने रहते हैं तो यह नहीं माना जा सकता कि विवादित भूमि से उन्हें वर्ष 2008 से बेदखल किया गया है। जबकि उन्हें विवादित भूमि के बेदखली के संबंध में कब्जा आदेश दिनांक 18/12/02 एवं प्रदर्श डी 7 के द्वारा मौके पर राजस्व निरीक्षक के द्वारा मौके पर प्रतिवादी क्रं 1 को मौके पर दिया गया कब्जा दिनांक 06/04/03 से ही कब्जे के बेदखल के संबंध में माना जायेगा और वाद कारण के

संबंध में भी उक्त दिनांक को ही माना जायेगा। इस प्रकार वादीगण को न्यायालय के समक्ष दिनांक 06/04/06 तक यह दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

57— जबकि वादीगण के द्वारा यह दावा दिनांक 31/10/09 को प्रस्तुत किया गया है, जो कि लगभग 3 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 58 के अनुसार यह दावा समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 5 का निराकरण “प्रमाणित” रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं 6 का निराकरण

58— वादीगण के द्वारा यह दावा स्वत्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। घोषणा हेतु मूल्यांकन 300/—रूपये, जिस पर न्याय शुल्क 100/—रूपये स्थायी निषेधाज्ञा हेतु मूल्यांकन 300/—रूपये जिस पर न्याय शुल्क 500/—रूपये चर्चा किया गया है। इस प्रकार 620/—रूपये न्याय शुल्क चर्चा किया गया है जो कि उचित है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 6 का निराकरण “प्रमाणित” रूप से किया जाता है।

अतिरिक्त वाद प्रश्न कं 2 का निराकरण

59— विचारणीय प्रश्न कं 1 से यह स्पष्ट हो चुका है कि वाद पत्र की कंडिका 2 में वर्णित भूमि का वादीगण एक मात्र स्वत्व व आधिपत्यधारी नहीं है। और वाद प्रश्न कं 1 के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी कं. 1 विवादित भूमि का 1/2 अंश प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी कं 1 के द्वारा उसको प्राप्त अंश में से विक्रय किया गया है, ऐसी परिस्थिति में वाद के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी कं. 2 एवं प्रति0 कं 3 के द्वारा उनके विक्रय पत्र में वर्णित भूमि पर जबरन आधिपत्य कर लिया गया है, यह नहीं माना जा सकता और उसका कब्जा वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार विचारणीय अतिरिक्त वाद प्रश्न कं 2 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

सहायता एवं वाद व्यय

60— वादीगण विवादित भूमि के एक मात्र स्वत्व एवं आधिपत्यधारी नहीं है और वादीगण द्वारा यह दावा समयावधि में भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहें हैं। अतः निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है।

- 1— वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहें हैं। अतः वादीगण का दावा निरस्त किया जाता है।
- 2— वादीगण स्वयं का तथा प्रतिवादीगण का भी वाद व्यय वहन करेंगे।
- 3— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय हो। उपरोक्तानुसार आज्ञा दी जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर
पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुडोपा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
आमला जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुडोपा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला जिला बैतूल म0प्र0